# उत्तर प्रदेश शासन गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग-1

संख्याः 17/2016/2791/6-पु-1-16-650(59)/2002 टी.सी.

लखनजः दिनांकः 19 अक्टूबर, 2016

# <u>अधिसूचना</u> प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या-5 सन् 1861) की धारा-2 के साथ पठित धारा-46 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

# उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम	1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक	, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (प्रथम	
और प्रारम्भ	संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।		
	(2) यह गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।		
नियम-6	2- उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली,		
का संशोधन	5	र्ने, विद्यमान नियम-6 में, उप नियम (1) में, नीचे	
		र स्तम्भ-२ में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा,	
	अर्थातः-		
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2	
	विद्यमान खण्ड	एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड	
	बीस प्रतिशत पदों को मौलिक रूप से		
	नियुक्त ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से परिशिष्ट-	नियुक्त ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से परिशिष्ट	
	''घ'' में विहित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय	में विहित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय परीक्षा के	
	परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से	आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा,	
	पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने:-	जिन्होंने,:-	
	(एक) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को सात वर्ष की	(एक) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को सात वर्ष की	
	सेवा पूरी कर ली हो;	सेवा पूरी कर ली हो;	
	(दो) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 50 वर्ष से	(दो) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 50 वर्ष से	
	अधिक आयु पूरी न की हो;	अधिक आयु पूरी न की हो;	
	(तीन) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को सीधी भर्ती	(तीन) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को सीधी भर्ती	
	हेत् विनिर्दिष्ट अन्य समस्त अर्हता रखता	हेतु विनिर्दिष्ट अन्य समस्त अर्हता रखता	
	<b>彰</b>	,	
	परन्तुक यह कि यदि समूह 'घ' के	परन्तुक यह कि यदि समूह 'घ' के	
	कर्मचारियों में से उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं		
	हो पाते हैं तो इन रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा	हो पाते हैं तो इन रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा	
	भरा जायेगा।	भरा जायेगा।	
नियम-10	3- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए	गए विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में	
का संशोधन	दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-		
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2	
	विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
	10- सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता	10- सीधी भर्ती हेतु आवश्यक अर्हताएं	
	(1) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)	(1) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)	
	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय	
	से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा	से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा	
	मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अईता;	मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता;	
	(ख) कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति	(ख) कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की	
	से हिन्दी टंकण अथवा 30 शब्द प्रति	गति से हिन्दी टंकण तथा कम से कम 30	
	मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण	शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण	

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(इनस्क्रिप्ट की बोर्ड पर यूनिकोड में या जैसा विभागाध्यक्ष निर्धारित करे);

(ग) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में ''ओ'' स्तर का प्रमाण पत्र।

# (2) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)

- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखाशास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता;
- (ख) कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड पर यूनिकोड में या जैसा विभागाध्यक्ष निर्धारित करें);
- (ग) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में ''ओ'' स्तर का प्रमाण पत्र।

# (3) पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)

- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता;
- (ख) न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड पर यूनिकोड में या जैसा विभागाध्यक्ष निर्धारित करें);
- (ग) न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शार्ट हैण्ड श्रुतलेख;
- (घ) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र।

(इनस्क्रिप्ट की बोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित किया जाये);

(ग) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में ''ओ'' स्तर का प्रमाण पत्र।

# (2) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)

- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखाशास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता;
- (ख) कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित किया जाये);
- (ग) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में ''ओ'' स्तर का प्रमाण पत्र।

# (3) पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)

- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता;
- (ख) कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित किया जाये);
- (ग) न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि श्रुतलेख;
- (घ) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र।

# नियम-11 का संशोधन

4- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

# स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

# 11-अधिमानी अर्हता

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-

- (1) डोएक/नाइलिट सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर एप्लीकेशन/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो;
- (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो;
- (3) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो;
- (4) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

# स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

#### 11-अधिमानी अर्हता

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-

- (1) डोएक/नाइलिट सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर एप्लीकेशन/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो:
- (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो:
- (3) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो;
- (4) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	अधिमान्यता दिये जाने का तरीका	
	विभागाध्यक्ष की सहमति से बोर्ड द्वारा निर्णीत	
	किया जायेगा।	
नियम-16	-	। गए विद्यमान नियम-16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में
का संशोधन	दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-	गर विद्युकाल लिएक-१० क स्याल पर स्तान्क-2 क
पंग सरावन	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	विद्यमान नियम	एतदुद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	रिक्तियों की अवधारणाः-	रिक्तियों की अवधारणाः-
	16- कार्यालयाध्यक्ष भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने	16- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान
	वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और	भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित
	नियम-7 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित	करेगा और नियम-7 के अधीन अनुसूचित
	जनजाति और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए	जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य
	आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी	श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने
	अवधारित करेगा।विभागाध्यक्ष, रिक्तियों की संख्या	वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा
	की सूचना, बोर्ड को देगा। सीधी भर्ती के लिए	और उसकी सूचना विभागाध्यक्षको देगा।
	रिक्तियां निम्नलिखित रूप से अधिसूचित की	विभागाध्यक्ष, पुरूष एवं महिला पदों की रिक्तियों
	जायेंगी:-	की संख्या अलग-अलग बोर्ड एवं सरकार को भी
		सूचित करेगा एवं तत्पश्चात पुरूष एवं महिला
	(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं	अभ्यर्थियों की रिक्तियां बोर्ड द्वारा पृथक रूप से
	अग्रेंजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी	समाचार पत्रों एंव जन संचार के अन्य माध्यमों
	करके;	से अधिसूचित की जायेंगी ।
	(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा	
	करके या रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम	
	से विज्ञापन द्वारा, एवं	
	(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को	
	अधिसूचित करके,	
	(चार) पुलिस के वेबसाइट तथा सूचना विभाग को	
	सम्मिलित करके बहु संचार के किसी अन्य	
	माध्यम द्वारा;	
नियम-17		गए विद्यमान नियम-17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में
का संशोधन	दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-	
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	17- सीधी भर्ती की प्रक्रियाः-	17-सीधी भर्ती की प्रक्रिया:-
	(क) आवेदन-पत्र	(क) आवेदन पत्र एवं बुलावा पत्र
	(एक) अभ्यर्थी केवल एक आवेदन-पत्र भरेगा।	कोई अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा।
	बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार	बोर्ड, केवल आनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार
	करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाले	करेगा। विभागाध्यक्ष, बोर्ड से परामर्श करके किसी
	अभ्यर्थी का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त	भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत करेगा।
	किया जा सकता है।	आवेदन पत्र भरे जाने एवं बुलावा पत्र निर्गत किये
	(दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक,	जाने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायेगा एवं इसे वेबसाइट पर
	त्रिखान, जिसके जन्तनत सारास्कर, त्रिखित, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी हैं,	प्रदर्शित अथवा अधिसूचना में प्रकाशित किया
	के लिये न्यूनतम अर्हक मानक, विषयवार	जायेगा ।
	लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हक	सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय
	ालाजरा परावा। पर स्विम व्यूवसम अरुपर	
	भंकके मंबंध में मनना का विवरण एवं	[마뉴 뉴틱 다 [역]]   1기부기 (만 1개5기 T)
	अंकके संबंध में सूचना का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो ममय-	किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी
	अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जो समय-	परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी
	अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जो समय- समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाये,	परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी क्रम पर बिना कोई
	अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जो समय- समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाये, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर या किसी	परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी
	अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जो समय- समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाये,	परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी क्रम पर बिना कोई

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

- (तीन) आवेदन पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है जिसके लिए बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।
- (चार) आवेदक, अपने प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।
- (पांच) आवेदन पत्र में पहचान विवरण, विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली के निशान, फोटोग्राफ या बायोमैट्रिक्स विवरण इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।
- (छः) विभागाध्यक्ष, बोर्ड से विचार विमर्श कर, किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत कर सकता है।
- (सात) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्वातवर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- (आठ) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।
- (नौ) अभ्यर्थी अपने आवेदन में उपखण्ड (एक) में यथा विहित अपनी वरीयता का क्रमशः उल्लेख करेगा जो चयन की दशा मे आवंदन का आधार होगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गयी वरीयता अन्तिम होगी एवं इसके पश्चात किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

### (ख) बुलावापत्र

अभ्यर्थियों के लिए बुलावा पत्र परीक्षा के कम से कम सात दिन पूर्व बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाऊनलोड करेगा और इसे पश्चातवर्ती परीक्षा के लिये लायेगा।

#### (ग) लिखित परीक्षा

अभ्यर्थी, जिनके आवेदन पत्र सही पाये जाते है, से एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा मे सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो निम्नलिखित विषयों में 400 अंकों की

# (ख) लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जायं, से 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलत होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में, बोर्ड द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, चार निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा:-

विषय	अधिकतम अंक
1. सामान्य हिन्दी	100 अंक
/कम्प्यूटर ज्ञान	(वस्तुनिष्ठ प्रकार)
2. सामान्य जागरूकता	100 अंक
/ सामयिक विषय	(वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3. संख्यात्मक एवं	100 अंक
मानसिक योग्यता परीक्षा	(वस्तुनिष्ठ प्रकार)
4. मानसिक अभिरूचि	100 अंक
परीक्षा/बुद्धिलब्धि	(वस्तुनिष्ठ प्रकार)
परीक्षा/तार्किक परीक्षा	

प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा। लिखित परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी अथवा अधिसूचना में प्रकाशित की जाएगी।

# (ग) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा

खण्ड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड, श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षा के लिये बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को अपने स्तर पर विनिश्चित करेगा। अभ्यर्थियों हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्नलिखित हैं:-

# 1- पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

# (क) ऊँचाई:

- (एक) सामान्य/अन्य पिछडे वर्गो और अनुस्चित जाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 163 सेन्टीमीटर है।
- (दो) अनुस्चित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 156 सेन्टीमीटर है।
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

होगीः-

विषय अधिकतम अंक 1. सामान्य हिन्दी/कम्प्यूटर ज्ञान 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)

2. सामान्य जागरूकता/सामायिक 100 अंक विषय (वस्त्निष्ठ प्रकार की)

3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा

100 अंक

(वस्तुनिष्ठ प्रकार की)

4. मानसिक अभिरूचि परीक्षा/ 100 अंक बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) टिप्पणी:-

परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-क में विहित है। प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

# (घ) अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थी जो खण्ड (ग) में निर्दिष्ट लिखित परीक्षा में सफल होते हैं, उनसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा परिशिष्ट-ख के अनुसार संचालित की जाएगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात् किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में, आवेदक का अभ्यर्थन, यथास्थित, बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

#### (इ.) कम्प्यूटर टंकण एवं आश्लिपि परीक्षा

भाग (घ) के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थी से अहंकारी प्रकृति की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। कम्प्यूटर टंकण की अहंकारी गति अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी। अभ्यर्थी से, उसके आवेदन पत्र में भरे विकल्प के अनुसार, हिन्दी अथवा अंग्रेजी टंकण परीक्षा में बैठने की अपेक्षा की जायेगी। केवल वही अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेत् आवेदन किया गया है और उपरोक्तान्सार कम्प्यूटर टंकण में उतीर्ण होते हैं, आश्लिपि परीक्षा में सम्मिलित होगें, जो अईकारी प्रकृति की होगी। उपर्युक्त परीक्षा हेत् समस्त पाठयक्रम, बोर्ड द्वारा विभागाध्यक्ष की सहमति से विनिश्चित किया जायेगा तथा वेबसाइट पर सम्यक रूप से प्रकाशित किया जायेगा।

#### (ख) सीनाः

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

**टिप्पणीः**- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

# 2- महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

# (क) ऊँचाई:

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 150 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुस्चित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 145 सेन्टीमीटर है।

# (ख) वजन:

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

इस परीक्षा को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। अपेक्षानुसार बोर्ड के अनुरोध पर समिति के शेष सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

इस परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या अधिसूचना में प्रकाशित की जायेगी।

कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट न हो, परीक्षा के पश्चात उसी दिन आपित दाखिल कर सकता है। ऐसी समस्त आपितयों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में अग्रतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

नोट:- समस्त वीडियो रिकार्ड में व्यक्तिगत गोपनीयता बनाई रखी जायेगी तथा समस्त अभिलेख बोर्ड मे सुरक्षित अभिरक्षा मे रखे जायेंगे तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर न्यायालय को या जांच अधिकारी द्वारा तलब किये जाने पर बोर्ड के स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे।

# (च) चयन तथा अन्तिमयोग्यता सूची

ऐसे अभ्यर्थियों से जिन्होंने कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उतीर्ण की है और ऐसे अभ्यर्थियों में जिन्होंने उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेत् आवेदन किया है और आश्लिपिक परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो में से, उनके द्वारा लिखित परीक्षा मंे प्राप्त कुल अंको के आधार पर, प्रत्येक पद के लिये आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तृति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ ऐसे समस्त अभ्यथियों की सूची, अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अन्मोदनोपरान्त अग्रतर कार्यवाही हेत् निय्क्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी:- यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते है, तो उनकी योग्यता का विनिश्चयनिम्नलिखित प्रक्रिया के क्रमानुसार किया जायेगा:-

- (1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (उपर्युक्त नियम-11 में उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ पाम होगा।
- (2) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- (3) यदि उपरिलिखित के वावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

### (छ) चिकित्सा परीक्षण

भाग (च) के अनुसार प्रेषित सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की

# (घ) कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा

भाग (ग) के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थी से अर्हकारी प्रकृति की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलत होने की अपेक्षा की जायेगी। कम्प्यूटर टंकण की अर्हकारी गति अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी। अभ्यर्थी को हिन्दी टंकण परीक्षा में सम्मिलत होने की अपेक्षा की जायेगी। केवल वही अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया गया है और उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते हैं, आशुलिपिक परीक्षा में सम्मिलित होगें, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। परीक्षा हेतु प्रक्रिया को बोर्ड द्वारा विनिश्चित कर अपनी बेवसाइट पर प्रदर्शित अथवा विज्ञित में प्रकाशित किया जाएगा।

# (इ.) चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची

ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन्होंने कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन्होंने उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेत् आवेदन किया है और आश्लिपिक परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के आधार पर, प्रत्येक पद के लिये आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के अनुसार के अभ्यथियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तृति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों सहित ऐसे समस्त अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष, बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

टिप्पणी:- यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो उनकी ज्येष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:-

- (1) यिंद दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (नियम-11 में कथित क्रम के अनुसार), यदि कोई हों, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।
- (2) भले ही यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान की जायेगी।
- 3) यदि उपरिलिखित के वावजूद भी, एक से
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अपेक्षा की जाएगी । चिकित्सा परीक्षण, सम्बन्धित जिले की पुलिस लाइन अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित किये गये स्थान पर संचालित किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण परिशिष्ट-ग के अनुसार संचालित होगा। चिकित्सा परीक्षण परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।

# (ज) चरित्र सत्यापन

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चिरत्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतयः चिरत्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चिरत्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

# (च) चिकित्सा परीक्षण

ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम खण्ड (इ.) के अनुसार चयन सूची में हों नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा हेत् सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के संचालन हेत् सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जायेगा जिसमें 03 चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये ''पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र'' के अनुसार अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा करेगा। कोई अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतृष्ट हो, वह स्वयं परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी स्वयं अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक पर अपील करने में असफल रहता है तो चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा। अपील हेत् गठित चिकित्सा परिषद में सम्बन्धित आवेदक के चिकित्सा दोष का विशेषज्ञ होगा। चिकित्सा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत अन्देश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्पयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।

#### (छ) चरित्र सत्यापन

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, चिरत्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चिरत्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

निर	<b>ग्म-20</b>	
का	संशोधन	

7- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

का संशाधन	ादया गया नियम रख ।दया जायगा, अथात:-	
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	20- परिवीक्षा	20- परिवीक्षा
	(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त	(1) इस नियमावली के अधीन किसी भी पद पर
	व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये	मौलिक रूप से नियुक्त किए गए सेवा के
	परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	किसी सदस्य की परिवीक्षा के मामलों के
	(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो	सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित
	अभिलिखित किये जायेंगे, अलग अलग	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

मामलों में परिवीक्षा अविध को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अविध बढाई जायः

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों में परिवीक्षा अविध एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

- (3) यदि परिवीक्षा अविध या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अविध के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त मे नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग संतोषप्रद रूप से करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
- (4) ऐसा पिरवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम(3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अविध की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

- नियमावली, 2013 के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे ।
- (2) यदि परिवीक्षा अविध या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अविध के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग संतोषप्रद रूप से करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
- (3) ऐसा पिरवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अविध की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमित दे सकता है।

परिशिष्ट-क, 8- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए परिशिष्ट- क, ख, ग एवं घ के स्थान पर स्तम्भ-ख, ग एवं घ 2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात:-

# स्तम्भ-1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट 'क' लिखित परीक्षा हेतु प्रक्रिया (नियम-17(ग) देखें)

# (1) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं के हस्तलेख में लिखेंगे। किसी भी मुंशी (स्काइब) या सहायक को किसी भी कारण

से अन्मति नहीं दी जायेगी।

- (2) यदि परीक्षा के दिनांक से 07 दिन पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होता है तो बोर्ड अभ्यर्थी को हेल्पलाइन/लेण्डलाइन/ मोबाईल फोन से सम्पर्क करने की तथा उसे बुलावा पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की व्यवस्था सुनिश्वित करेगा।
- (3) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिन और एक ही समय पर आयोजित की जायेगी।
- (4) लिखित परीक्षा के प्रयोजनार्थ ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगा, जिसकी मूलप्रति स्कैनिंग के लिए

# स्तम्भ-1 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों हेतु विभागीय परीक्षा की प्रक्रिया

- ( नियम-6(1)(ख) देंखें)
- समस्त श्रेणी 'घ' के पात्र कर्मियों को (नियम-10 के साथ पठित नियम-6) टंकण परीक्षा देने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी।
- टंकण परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों से 100 अंको की लिखित परीक्षा देने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा को उतीर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होगें। विभागाध्यक्ष के परामर्श से लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जायेगा और रिक्तियों की अधिसूचना के साथ अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक के आधार पर योग्यता सूची (merit list) बनायी जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक समान अंक प्राप्त करते है तो उन
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

- प्रयोग किया जायेगा, प्रथम कार्बन कांपी बोर्ड के अभिलेख के लिए और दूसरी कापी अभ्यर्थियों के लिए होगी। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की दूसरी कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।
- (5) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात उत्तर पत्रकों को विरष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द आवरण में केन्द्रवार बोर्ड को भेज दिया जायेगा।
- (6) बोर्ड समस्त अभ्यर्थियों के (ओ.एम.आर.) उत्तर पत्रकों को उत्तर कुंजी के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
- (7) अभ्यर्थियों को दिये गये प्रश्न-पत्र इस प्रकार होंगे कि प्रश्नों का क्रम और साथ में विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर क्रमान्सार न हों। प्रत्येक प्रश्न-पत्र पर एक विशिष्ट पहचान संख्या या क्रम अंकित होगा अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये अन्देशों के अनुसार, जहां इस प्रकार अनुदेशित किया गया हो, उत्तर पुस्तिका पर उसे अभिलिखित करें। जब अभिलिखित करने के लिये अन्देशित किया गया हो और अभ्यर्थी उसे अभिलिखित करने में असफल रहे हों, तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अंक प्राप्त नहीं होगा।
- (8) सभी प्रश्नो एवं उत्तरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिये सभी सावधानियां बरती जायेगी। तथापि एक या अधिक प्रश्नपत्रों में किसी प्रश्न के गलत होने की दशा में या बोर्ड के विचार में उत्तर का विकल्प अनोखा नहीं है या अन्य किसी कारण से जिसे अभिलिखित किया जायेगा बोर्ड किसी भी प्रश्न को रद्द कर सकता है। बोर्ड द्वारा किसी भी कारण से प्रश्न को रद्द किये जाने की दशा में उस प्रश्न हेतु आवंटित अंक उन सभी अभ्यर्थियों को दिये जायेगें, जिन्होंने उस प्रश्न का कोई एक उत्तर विकल्प भरा हो।
- (9) बोर्ड परीक्षा के लिये विस्तृत पाठय-विवरण विनिर्दिष्ट करेगा। तथापि पाठय-विवरण संकेतात्मक प्रकृति का होगा और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद पाठयक्रम द्वारा अनाच्छादित प्रश्नों से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपतियां नहीं की जा सकेगीं।
- (10) बोर्ड किसी पश्च-पत्र को खण्डों में विभक्त

- अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो सेवा में ज्येष्ठ हो, आयु में ज्येष्ठ हो तथा फिर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में अग्रेजी वर्णमाला में यथा उल्लिखित प्रथम नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर।
- 3. बोर्ड द्वारा अधिसूचित कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये योग्यता (merit) के अनुसार बोर्ड अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार करेगा। बोर्ड, चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति के साथ विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।
- विभागाध्यक्ष, सूची को अनुमोदित करेगा
   और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा
   जो पदोन्नित हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।
- 5. पदोन्नित हेतु, चयिनत अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची, विभागाध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

- कर सकता है और दो या दो से अधिक विषयों को और दो या दो से अधिक प्रश्न-पत्रों को क्रमानुसार एक प्रश्न-पत्र में संयुक्त कर सकता है।
- (11) बोर्ड किसी परीक्षा के लिये एक न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नियत कर सकता है, जिसे परीक्षा की विज्ञित में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा, और जब तक अन्यथा समाधान न हो जाये तब तक बोर्ड अग्रेतर ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं ले सकता हैं जो पूर्ववर्ती चरण में विफल हो गये हों।
- (12) अभ्यर्थी द्वारा उसके किसी उत्तर पुस्तिका पर किये गये किसी हस्ताक्षर, अंकित किये गये नाम या असंगत चिन्ह, सिवाय् अभ्यर्थी को दिये गये निर्देश के अनुसार, के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी का बोर्ड के विवेकानुसार अभ्यर्थन अनर्ह हो सकता है।
- (13) अगर परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए अथवा अनुचित संसाधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो बोर्ड उसका अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है एवं इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

# परिशिष्ट 'ख' अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा ( नियम-17(घ) देंखे)

#### अभिलेखों की संवीक्षा

- (1) अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
- (क) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी-कलक्टर अध्यक्ष होगा;
- (ख) जनपद के विरष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक;
- (ग) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी।

जहां वियमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

- (2) मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।
- (3) अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान बोर्ड, किसी समिति द्वारा किसी प्रकरण का कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर, अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अंतिम माने जायेंगे।

#### शारीरिक मानक परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षण कराये जाने हेतु उपरोक्त उल्लिखित समिति किसी अन्य राजकीय/कर्मचारी की सहायता ले सकता है।

(1) पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

# (क) ऊँचाई:

- (एक) सामान्य/अन्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 166 सेन्टीमीटर है।
- (दो) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 158 सेन्टीमीटर है।

(ख) सीनाः

सामान्य/अन्य पिछडी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

नोटः- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

#### (क) ऊँचाई:

- (एक) सामान्य/अन्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 150 सेन्टीमीटर है।
- (दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 145 सेन्टीमीटर है।

#### (ख) वजनः

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

- (3) प्रत्येक परीक्षण हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक अर्हता को परीक्षा आयोजित होने के पूर्व परीक्षण स्थल के सूचना पट्ट पर अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
- (4) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बाट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

#### किया जायेगा।

(5) कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपित दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपित के निस्तारण के सम्बन्ध में बोई द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा उपरोक्त नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थित में पुनः कराया जायेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं अग्रतर किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

# सामान्य अनुदेश:-

- (1) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोई द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
- यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में परीक्षा संचालन हेत् गठित समिति को परीक्षा में सिम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेत् निर्णय लिया जा सकता है । इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निधारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा । अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निधरित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।
- (3) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले किसी अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।
- (4) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

मानक परीक्षा का परीणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जायेगा ।

# परिशिष्ट 'ग' (नियम-17(छ) देखें) चिकित्सकीय परीक्षण

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु, चिकित्सा परिषद गठन किये जाने का अनुरोध किया जायेगा। चिकित्सा परिषद में तीन चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये ''पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र'' के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्साय परीक्षा करेगा। यह प्रपत्र उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। चिकित्सा परिषद आवश्यकता अनुसार किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाएं ले सकता है।

शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बाँट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

- (1) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।
- (2) चिकित्सा परीक्षा का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।
- (3) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असन्तुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। अपील का निस्तारण उक्त प्रयोजन के लिए गठित चिकित्सा परिषद द्वारा अपील फाइल किये जाने के एक माह के भीतर किया जाना चाहिए। चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सा दोष से संबन्धित विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा।
- (4) चिकित्सा परिषद के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जायेंगे, दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे।
- (5) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होती है और योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडता है।

टिप्पणी:- चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों तथा उनकी कमियों यथा-नाक-नी, वी-लेग्स, फ्लैट-फीट, वेरीकोज वेन्स, दूर तथा निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, रीनेज परीक्षण, वेब्वर्स परीक्षण को समाविष्ट करते दुए, श्रवण शक्ति परीक्षण की

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

जाँच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक दोष आदि का परीक्षण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, किया जायेगा। चिकित्सा परिषद विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण संचालित करा सकता है।

# परिशिष्ट 'घ' चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों हेतु विभागीय परीक्षा प्रक्रिया

( नियम-6(ख) देंखे)

- सभी चतुर्थ श्रेणी के पात्र किर्मियों को (नियम-6 सपिठत नियम-10) टंकण परीक्षा देनी होगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी।
- 2. टंकण परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को 100 अंको की लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा को उतीर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होगें। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा विभागाध्यक्ष से परामर्श कर सुनिश्चित किया जायेगा और रिक्तियों की अधिसूचना के साथ अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर श्रेष्ठता सूची (merit list) बनायी जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक समान अंक प्राप्त करते है तो उन अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो सेवा में ज्येष्ठ हो, आयु में ज्येष्ठ हो तथा फिर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में अग्रेजी वर्णमाला में लिखित प्रथम नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर।
- 3. बोर्ड द्वारा अधिसूचित कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये श्रेष्ठता (merit) के अनुसार बोर्ड अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति के साथ विभागाध्यक्ष को सौंपेगा।
- 4. विभागाध्यक्ष सूची को अनुमोदित करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा जो पदोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।
- 5. पदोन्नित हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची, विभागाध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित की गयी हो बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

आजा से, ( देबाशीष पण्डा ) प्रमुख सचिव, गृह

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

# Uttar Pradesh Shasan Grih (Police) Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of following the English translation of notification no. 17 /2791/6-pu-1-16-650(59)/2002 TC dated: 19 October, 2016.

# NOTIFICATION Miscellaneous

No. 17/2016/2791/6-pu-1-16-650(59)/2002 TC Lucknow Dated: 19 October, 2016

In exercise of the powers under of sub-section (2) of section 46 read with section-2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf the Governor is pleased to make the following rules with a view of amending the Uttar Pradesh Police Ministerial, Accounts and Confidential Assistants Cadres Service Rules, 2015:-

# THE UTTAR PRADESH POLICE MINISTERIAL, ACCOUNTS AND CONFIDENTIAL ASSISTANTS CADRES SERVICE (FIRST AMMENDMENT) RULES, 2016

SERVICE (FIRST AMMENDMENT) RULES, 2016			
Short title	1- (1) These rules may be called the The Uttar Pradesh Police Ministerial, Accounts and		
and	Confidential Assistants Cadres Service (First Ammendment) Rules, 2016		
commence-			
ment		m the date of their publication in the Gazette.	
Ammendm-		I, Accounts and Confidential Assistants Cadres	
ent of rule-6		o as the said rules, in the existing rule-6, in sub	
		elow, the note as set out in Column II shall be	
	substituted, namely:-		
	Column-I	Column-II	
	Existing note	Note as herby substituted	
	<b>Note-</b> (2) Twenty percent through promotion	<b>Note-</b> (2) Twenty percent through promotion	
	by the Board on the basis of departmental	by the Board on the basis of departmental	
	examination as per procedure prescribed in	examination as per procedure prescribed in	
	<b>Appendix-D</b> from amongst substantively	<b>Appendix</b> from amongst substantively	
	appointed Group 'D' employees who have ;	appointed Group 'D' employees who have ;	
	(i) completed seven years of service as	(i) completed seven years of service as such	
	such on the first day of the year of	on the first day of the year of	
	recruitment;	recruitment;	
	(ii) attained the age of not more than 50	(ii) attained the age of not more than 50	
***	years on the first day of the year of	years on the first day of the year of	
	recruitment;	recruitment;	
	(iii) possess all other qualifications as	(iii) possess all other qualifications as	
	specified for direct recruitment on the	specified for direct recruitment on the	
	first day of the year of recruitment;	first day of the year of recruitment;	
	Provided that if suitable candidates from	Provided that if suitable candidates from	
	Group 'D' employees are not found then their	Group 'D' employees are not found then their	
	unfilled vacancies shall be filled up by direct	unfilled vacancies shall be filled up by direct	
	recruitment.	recruitment.	
Ammendm-	3- In the said rules, for existing <b>rule-10</b> , set out in Column I below, the rule as set out in		
ent of rule-	Column II shall be substituted, namely:-		

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	Column-I	Column-II
	Existing rule	Rule as herby substituted
	10- Educatoinal Qualification for direct	10- Essential Qualification for direct
	recruitment	recruitment
	(1) Assistant Sub-Inspector of Police (Ministerial)	(1) Assistant Sub-Inspector of Police (Ministerial)
	(a) Bachelor's degree from a	a) Bachelor's degree from a University
	University established by law in	established by law in India or
	India or equivalent qualification	equivalent qualification recognized by
	recognized by Government.	Government.
	(b) Hindi typing (Unicode based using	b) Hindi typing with speed of at least 25
	In script or as prescribed by the Head of the Department) with	words per minute and English typing with speed of at least 30 words per
	speed of at least 25 words per	minute (Unicode based using In script
	minute.	keyboard or as prescribed by the
	(c) Certificate of 'O' Level in	Head of the Department)
	computer from DOEACC/NIELIT	c) Certificate of 'O' Level in computer
	Society.	from DOEACC/NIELIT Society.
	(2) Assistant Sub-Inspector of Police	(2) Assistant Sub-Inspector of Police
	(Accounts)	(Accounts)
	(a) Bachelor's degree in Commerce or	a) Bachelor's degree in Commerce or
	post graduate diploma in	post graduate diploma in
	Accountancy from a University established by law in India or	Accountancy from a University established by law in India or
	equivalent qualification	equivalent qualification
	recognized by Government.	recognized by Government.
	(b) Hindi typing (Unicode based using	b) Hindi typing (Unicode based using
	In script or as prescribed by the	In script keyboard or as prescribed
	Head of the department) with speed of at least 15 words per	by the Head of the Department) with speed of at least 15 words
	minute.	per minute.
	(c) Certificate of 'O' Level in	c) Certificate of 'O' Level in
	computer from DOEACC/NIELIT	computer from DOEACC/NIELIT
	Society.	Society. (3) Sub-Inspector of Police (Confidential)
	(3) Sub-Inspector of Police (Confidential)	(3) <u>Sub-mispector of Fonce (commential)</u>
		a) Bachelor's degree from a University
	(a) Bachelor's degree from a	established by law in India or
	University established by law in India or equivalent qualification	equivalent qualification recognized by Government.
	recognized by Government.	b) Hindi typing with speed of at least 25
	(b) Hindi typing (Unicode based using	words per minute and English typing
	In script or as prescribed by the	with speed of at least 30 words per
	Head of the department) with	minute (Unicode based using In script
	speed of at least 25 words per minute.	keyboard or as prescribed by the Head of the Department)
	(c) Hindi Shorthand dictation speed	c) Hindi Shorthand dictation speed of
	of minimum 80 words per	minimum 80 words per minute.
	minute.	d) Certificate of 'O' Level in computer
	(d) Certificate of 'O' Level in	from DOEACC/NIELIT Society.
	computer from DOEACC/NIELIT	
Ammendm-	Society.  4- In the said rules, for existing <b>rule-11</b> set	Lout in Column I below, the rule as set out in
ent of rule-	Column II shall be substituted, namely:-	

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

11		
	Column-I	Column-II
	Existing rule	Rule as herby substituted
	11. Preferential Qualifications Other things being equal, a candidate shall	11. Preferential Qualifications Other things being equal, a candidate shall
	be given preference who has-  1. higher certification from the DOEACC/NIELIT Society or Bachelors degree in Computer Application/Technology or higher	be given preference who has-  1. higher certification from the DOEACC/NIELIT Society or Bachelors degree in Computer Application/Technology or higher
	recognized by the Government;  2. graduation in Law from any institute or college or University recognised by University Grant Commission;  3. has served in the Territorial Army for at least two years;	recognized by the Government;  2. graduation in Law from any institute or college or University recognised by University Grant Commission;  3. has served in the Territorial Army
	4. possesses "B" Certificate of the National Cadet Corps.	for at least two years; 4. possesses "B" Certificate of the National Cadet Corps.
	The exact modality for giving preference shall be decided by the Board in consultation with the Head of Department.	
Ammendm-		n Column I below, the rule as set out in Column
ent of rule- 16	II shall be substituted, namely:-  Column-I	Column-II
10	Existing rule	Rule as herby substituted
	<ul> <li>Determination of vacancies</li> <li>16- The Heads of Office shall determine and intimate to the Head of the department the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment and also the number of vacancies reserved for candidates belonging to Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other categories under Rule 7. The Head of the Department shall intimate the number of vacancies for both male and female candidates separately, to the Board and also to the Government. Subsequently the board shall notify the vacancies for both male and female candidates separately in the following manner:- <ol> <li>by issuing advertisement in daily Hindi and English newspapers having widest circulation;</li> <li>by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Employment newspapers, and;</li> <li>by notifying vacancies to the Employment Exchange.</li> <li>by any other means of mass communication including web-sites of Police and Department of Information.</li> </ol> </li></ul>	<b>Determination of vacancies 16-</b> The appointing authority shall determine and intimate to the Head of the Department the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 7. The Head of the Department shall intimate the number of vacancies for both male and female candidates separately, to the Board and also to the Government. Subsequently the Board shall notify the vacancies for both male and female candidates separately through newspapers and through other means of mass communication.
Ammendm-	6- In the said rules, for existing <b>rule-17</b> set out i	n Column I below, the rule as set out in Column
Ammendm- ent of rule- 17	6- In the said rules, for existing rule-17 set out i Il shall be substituted, namely :- Column-I	n Column I below, the rule as set out in Column  Column-II

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

# 17- Procedure for Direct recruitment (A)Applications

- (i) A candidate shall fill only one application Form. The Board will accept only online applications. The application of candidates, who fill more than one forms, may be rejected by Board.
- (ii) The details of the information regarding educational qualification, age, minimum qualifying standards for each category of examination, including physical, written, medical examination etc., minimum qualifying marks for written examination subject wise and other important guidelines as determined by the Board from time to time shall be made available by the Board on its own website and or by other means as it deems necessary.
- (iii) The applications shall be invited by the Board giving the applicants adequate time for application, the candidate shall be personally and solely responsible for accuracy and completeness of the application, if the Form of any candidate is found incomplete, wrong or having inaccurate information, the Form may be cancelled and the decision of Board in this regard shall be final.
- (iv) An applicant shall certify himself his certificates and documents and be responsible for their genuineness and correctness.
- (v) In the application form the detail of the identity, specific identity card number, thumb and finger impression, photographs or biometric details will be included in such manner as may be determine by the Board from time to time.
- (vi) The Head of the Department, in consultation with Board, may fix an application fee for any recruitment.
- (vii) The Board shall have the right to summarily reject the candidature of an applicant for any incompleteness or inaccuracy or variation or conflict with any previous or subsequent information submitted by the candidate.
- (viii) The Government may change the number of vacancies for any recruitment at any time before the first examination and may also cancel any recruitment at any time or stage of recruitment without assigning any reason thereof.
- (ix) Candidate shall mention their preference as prescribed in sub clause (i) respectively with their application, which will be the basis of allotment in case of selection. The

#### 17- Procedure for Direct recruitment

### (A) Application Form and Call Letter:-

A candidate shall fill only one application Form. The Board will accept only online applications. The Head of the Department, in consultation with the Board, shall fix an application fee for a recruitment. Detailed procedure for filling the Application Form and issuance of call letter shall be determined by the Board and shall be displayed on its website or be published in the notification.

The Government may change the number of vacancies for any recruitment at any time before the first examination and may also cancel any recruitment at any time or stage of recruitment without assigning any reason therefor.

#### (B) Written Examination-

Candidates whose applications are found correct, shall be required to appear for written test of 400 marks. In this written examination, the Board will keep one objective type question paper of four following subjects:-

Subject	Maximum Marks
1. General Hindi/Computer	100 marks (objective
Knowledge	type)
2. General Awareness /	100 marks (objective
Current Affairs	type)
3. Numerical and Mental	100 marks (objective
Ability Test	type)
4. Mental Aptitude Test/	100 marks (objective
I.Q.Test / Reasoning	type)

Candidates failing to obtain 50% marks in each of the above subjects shall not be eligible for recruitment. The Board will decide at its own level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shift or on more than one date in different shifts with defferent question paper. Detailed procedure and syllabus for written examination shall be determined by the Board and will be displayed on its website or shall be published in the notification.

# (C) Scrutiny of Documents and Physical Standard Test-

Candidates found successful in written examination underclause (B) shall be required to appear in Scrutiny of Documents and

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

preference given by the candidate in the application form shall be final and no change shall be allowed thereafter.

# (B) Call Letters

Call letter for candidates shall be uploaded by board on its website at least seven days before the examination, the applicant will download it and carry it for subsequent examinations.

# (C) Written Test

Candidates whose applications are found to be correct will berequired to appear in an objective type written test of qualifying nature. which shall carry 400 marks in the following subjects:-

Subject	Maximum Marks
General Hindi/Computer	100 marks
Knowledge	(objective type)
2. General Awareness/Current	100 marks
Affairs	(objective type)
3. Numerical and Mental	100 marks
Ability Test	(objective type)
4. Mental Aptitude Test/	100 marks
I.Q.Test / Reasoning	(objective type)

#### Note:-

The detailed syllabus for the examination will be notified by the Board. The procedure for the conducting the written examination shall be such as prescribed in Appendix -A. Candidates failing to obtain 50% marks in each Subject shall not be eligible for recruitment.

# (D) Scrutiny of Documents and Medical Examination-

Such candidates as are successful in Written Test referred to in clause (C), shall be required to appear for scrutiny of documents and Physical Standard Test. Scrutiny of documents and Physical standard test will be conducted as per Appendix-B. In case any document is found to be manipulated, inaccurate or forged during the scrutiny or at any time after the scrutiny, the candidature of the applicant will be cancelled at the discretion of the Board or the Appointing authority as the case may be.

# (E) Computer Typing and Stenography Examination

Candidates found successful in Scrutiny of Documents and Medical Examination as per part (D) shall be required to appear in the computer typing test of qualifying nature.

Physical Standard Test. Keeping in view the total number of vacancies, the Board shall decide at its own level, the number of candidates on the basis of merit to be called for this test. Physical Standards for candidates are as follows:-

# 1. Minimum Physical Standards for male candidates are as follows:-

#### (a) Height:-

- (i) for General/Other Backward classes and Scheduled Castes male candidates minimum height should be 163 centimetres.
- (ii) for Scheduled Tribes male candidates minimum height should be 156 centimetres.

#### (b) Chest:-

For the candidates belonging to General/ Other Backward classes and Scheduled Castes minimum chest measurement should be 77 centimetres without expansion and at least 82 centimetres with expansion; and for the candidates belonging to the Scheduled Tribes 75 centimetres without expansion and not less than 80 centimetres on expansion.

**Note:-** Minimum 5 centimetre chest expansion is essential.

# 2. Minimum Physical Standards for female candidates are as follows:-

# (a) Height:-

- **(i)** for General/Other Backward classes and Scheduled Castes female candidates minimum height should be 150 centimetres.
- (ii) for Scheduled Tribes female candidates minimum height should be 145 centimetres.

#### (b) Weight:-

Minimum 40 Kg. for female candidates.

For conducting this examination a committee will be constituted by the Board in which a Deputy Collector nominated by the District Magistrate will be the Chairman and the Deputy Suprintendent of Police nominated by the District Suprintendent of Police will be the member. the other members of the committee shall be nominated by the District Magistrate or the Suprintendent of Police if requested by the board.

Detailed procedure for this examination shall be determined by the Board and will be displayed on its website or shall be published in the notification.

If any candidate is not satisfied with his Physical Standard Test, he may file an objection on the same day after the test. For clearing all such objection; the Board shall

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

The qualifying typing speed shall be as per the post which has been applied for by the candidate. The candidate will be required to appear in Hindi or English typing test as per option filled by him in his application form. Only those candidates who have applied for post of Sub Inspector Police(Confidential) and qualify the required typing test as above, shall have to appear in stenography test which shall be of qualifying nature. The syllabus for all the above examination shall be decided by the Board with the consent of Head of Department and duly published on the website.

**Note:-**Individual privacy will be maintained in all video records and the record will be kept in safe custody in the Board and will be made available to a Court of law when summoned by it, or to an enquiry officer from the level of the Board.

### (F) Selection and Final Merit List

From amongst candidates who have qualified in computer typing and from amongst those candidates who have applied for the post of Sub Inspector of Police(Confidential) and have qualified the stenography test also, the Board shall prepare a select list of candidates of each post separately as per vacancies, on the basis of aggregate marks obtained by them in Written examination, keeping in view the reservation policy, and send it with recommendation to the Head of the Department, subject to Medical test/character verification. No waiting list shall be prepared by the Board. List of all such candidates with marks obtained by each candidate shall be uploaded on its website by the Board. The Head of the Department shall after his approval forward the list sent by the Board to the Appointing Authority for further action.

**Note:** If two or more than two candidates obtain equal marks then their seniority shall be decided by the procedure laid down in the following order:-

- (1) If two or more candidates obtain equal marks then such candidate will be given preference who possesses preferential qualification, if any (in the same order as stated in rule 11). Candidate having more than one preferential qualification shall get the benefit of only one preferential qualification.
- (2) Even then if two or more candidates have equal marks then candidate older in age shall be given preference.

nominate one Additional Superintendent of Police at every place and Physical Standard Test of all such candidates will be conducted again by the committee in the presence of the said nominated Additional Superintendent of Police. All those candidates who are again found unsuccessful in the Physical Standard Test, will be declared unfit for recruitment and no further appeal will be entertained in this regard.

# (D) Computer Typing and Stenography Examination

Candidates found successful in Scrutiny of Documents and Medical Examination as per part (C) shall be required to appear in the computer typing test of qualifying nature. The qualifying typing speed shall be as per the post which has been applied for by the candidate. Only those candidates who have applied for the post of Sub Inspector of Police (Confidential) and qualify the required typing test as above, shall have to appear in stenography test which shall be of qualifying nature. The procedure for the examination shall be decided by the Board and will be displayed on its website or shall be published in the notification.

#### (E) Selection and Final Merit List

From amongst candidates who have qualified in computer typing and from amongst those candidates who have applied for the post of Sub Inspector of Police (Confidential) and have qualified the stenography test also, the Board shall prepare a select list of candidates of each post separately as per vacancies, on the basis of aggregate marks obtained by them in Written examination, keeping in view the reservation policy, and send it with recommendation to the Head of the Department, subject to Medical test/character verification. waiting list shall be prepared by the Board. List of all such candidates with marks obtained by each candidate shall be uploaded on its website by the Board. The Head of the Department shall after his approval forward the list sent by the Board to the Appointing Authority for further action.

**Note**:- If two or more than two candidates obtain equal marks then their seniority shall be decided by the procedure laid down in the following order:-

(1) If two or more candidates obtain equal marks then such candidate will be given preference who possesses

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) If despite the aforementioned more than one candidates are equal, then preference to such candidate shall be determined according to the order in English Alphabets of their names mentioned in High School Certificate.

#### (G) Medical Test

The candidates whose name are in the list sent as per part (f), will be required to appear for Medical Examination by the Appointing authority. Medical Examination will be conducted in the Police Line of the concerned District or at the place mentioned by the Appointing authority. Medical Examination will be conducted as per Appendix-C. Candidates found unsuccessful in Medical Examination shall be declared unfit by the Appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

# (H) Character Verification

Character Verification shall be completed under the supervision of appointing authority before issuing appointment letter and before sending the candidates for training. Ordinarily character verification shall be completed within a month. On adverse fact coming to light character verification of any durina candidate, he shall be declared unfit by the appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

- preferential qualification, if any (in the same order as stated in rule 11). Candidate having more than one preferential qualification shall get the benefit of only one preferential qualification.
- (2) Even then if two or more candidates have equal marks then candidate older in age shall be given preference.
- (3) If despite the aforementioned more than one candidates are equal, then preference to such candidate shall be determined according to the order in English Alphabets of their names mentioned in High School Certificate.

# (F) Medical Test-

The candidates whose names are in the select list as per clause (e), will be required to appear for Medical Examination by the Appointing authority. For conducting the medical examination, the Chief Medical Officer of the concerned district shall constitute a Medical Board, which will have 03 doctors, who will conduct Medical Examination as per "Police Recruitment Medical Examination Forms" as prescribed and codified by the Head of Department in consultation with the Director General of Medical Health. Any candidate not satisfied by his Medical Examination, may file an appeal on the day of examination itself. Any appeal with regard to Medical Examination will not be considered if the candidate fails to file the appeal on the date of Medical Examination and declaration of its result itself. The Medical Board constituted for appeal shall have expert regarding Medical deficiency of the applicant. The detailed instructions for conducting Medical examination will be issued by the Director General of Police. The candidates found unsuccessful in Medical Examination shall be declared unfit by the Appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

### (G) Character Verification

Character Verification shall be completed under the supervision of appointing authority before issuing of appointment letter and before sending the candidates for training. On adverse fact coming to light during character verification of any candidate, he shall be declared unfit by the appointing authority and such vacancy shall be carried forward for next selection

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Amemndm-		in Column I below, the rule as set out in Column
ent of Rule-	II shall be substituted, namely :-	T
20	Column-I	Column-II
	Existing Rule	Rules as herby substituted
	20-Probation	20-Probation
	(1) A person on substantive appointment	(1) Regarding matters of probation, a
	to a post in the service shall be placed on	member of service substantively appointed
	probation for a period of two years.	on a post under these rules, shall be governed
	(2) The appointing authority may, for	by the provisions of The Uttar Pradesh
	reasons to be recorded, extend the period of	Government Servant Probation Rules, 2013,
	probation in individual cases specifying the	as amended from time to time.
	date up to which extension is granted:	(2) If it appears to appointing authority at
	Provided that, in exceptional	any time during or at the end of the period
	circumstances, the period of probation shall	of probation or extended period of
	not be extended beyond one year and in no	probation that a probationer has not made
	circumstances, beyond two years.	sufficient use of his opportunities or has
	(3) If it appears to appointing authority	otherwise failed to give satisfaction, he may
	at any time during or at the end of the period	be reverted to his substantive post, if any,
	of probation or extended period of probation	and if he does not hold a lien on any post, his
	that a probationer has not made sufficient	services may be dispensed with.
	use of his opportunities to satisfaction of	(3) A probationer who is reverted or whose
	appointing authority, he may be reverted to	services are dispensed with under sub-rule
	his substantive post, if any, and if he does not	(2) shall not be entitled to any
	hold a lien on any post, his service may be	compensation.
	dispensed with.	(4) The appointing authority may allow
	(4) A probationer who is reverted or	continuous service, rendered in officiating or
	whose services are dispensed with under sub-	temporary capacity in a post included in the
	rule (3) shall not be entitled to any	cadre or any other equivalent or higher post
	compensation.	to be taken into account for the purpose of
		computing the period of probation.
Appendices-	8- In the said rules, for appendices- A, B, C and	<b>d D</b> set out in Column I below, the appendix as
A, B, C and D	set out in column-II shall be substituted, nar	
	Column-I	Column-II
	ExistingAppendix	Appendix as herby substituted
	Appendix-A	Appendix
	Procedure for Written Examination	Procedure of Departmental Examination for
	{See Rule-17(c)}	Class IV Employees
		{See Rule-6(1)(A)(2)}
	(1) In the Written Examination a candidate	
	shall write in his own handwriting. Scribe or	1. All the eligible Group-'D' employees
	assistant shall not be permitted for any	(Rule-6 read with Rule 10) shall be
	reason whatsoever.	required to undergo Typing Test which
	(2) If call letter is not received 07 days before	shall be of qualifying nature.
	the examination, then the Board shall ensure	2. All the candidates who are successful in
	arrangements for the candidates to contact	the Typing Test shall be required to
	the board on helpline/ landline/ mobile	undergo a written examination of 100
	phone or download the call letter from the	marks. The candidates shall be required
	Board's website.	to obtain 35% marks in order to qualify
	(3) Written Examination shall be conducted	the written test. The syllabus of the
	on the same day at the same time throughout	written Test will be decided by the Board
	the State.	in consultation with the Head of
	(4) For the purpose of the written	Department and notified along with the
	examination O.M.R. answer sheet shall be in	notification of vacancies. The merit list
ī	03 copies the original copy will be used for	shall be prepared on the aggregate

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

03 copies, the original copy will be used for

scanning, first carbon copy shall be kept for

Board's record and second carbon copy shall

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

shall be prepared on the aggregate

examination. If the two or more

in

thewritten

obtained

marks

- be for candidate. Candidates will be permitted to take the second carbon copy of O.M.R. answer sheet with them.
- (5) After the Written examination is over answer sheets will be dispatched to the Board, centre-wise in sealed covers through the safe custody provided by the District Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police.
- (6) Board shall upload answer sheets (O.M.R.) of all the candidates along with the answer key on its website.
- (7) The question papers provided to the candidates shall be such that the sequence of the questions and also the answers to particular questions is randomised. Each question paper shall have a unique identification number or series and, where so instructed, the candidates will be expected to record this on the answer sheet as per the instructions issued by the Board. When instructed to do so, and where the candidates have failed to record the same, the answer sheets will not be evaluated and no marks will accrue to such candidates.
- (8) All precautions shall be taken to ensure the correctness of all the questions and answers. However in case of question being wrong in one or more question papers, or in the opinion of the Board, option for answer is not unique or for any other reason which shall be recorded, Board can annual any question. In case of a question being annulled by the Board for any reason the allotted marks for the question shall be awarded to all those candidates who have attempted the question by marking any of the given answer choices.
- (9) Board shall specify detailed syllabus for the examination. However the syllabus will be indicative in nature and after the completion of the examination no appeal or objection will be entertained on the issue of any question being out of syllabus.
- (10) Board can divide the question paper in parts and can put two or more than two subjects or two or more than two question papers serially in one question paper.
- (11) Board can prescribe minimum passing percentage for any examination, which shall be clearly mentioned in the notification of the examination, and until the Board is satisfied otherwise, the Board will not further examine any candidate who are unsuccessful in previous stage.
- (12) As a result of any signature, writing a

- candidates secure equal marks, preference will be given to the candidates who are senior in the service, older in age and then in the order of the first letter of the English Alphabet of the first name as mentioned in High School certificate.
- The Board shall prepare a select list of candidates as per the merit keeping in view the total number of vacancies notified by the Board. The Boardshall submit the list of selected candidates, along with its recommendation to the Head of Department.
- 4. Head of Department will approve the list and send it to appointing authoritywho shall issue the final orders for promotion.
- The final list of candidates selected for promotion, as approved by the Head of Department shall be displayed on the website of the Board and the Uttar Pradesh Police.

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

name or improper sign by a candidate on the answer sheet, except as per the instructions given to the candidates, the candidature of the candidate can be cancelled by the Board. (13) If a candidate is found copying in the exam or is found using unfair means, then the Board can cancel the candidature of such candidate and the decision of Board in this regard shall be final.

# Appendix-B Scrutiny of Documents and Medical Examination

{See Rule-17(D)}

# **Scrutiny of the Documents**

- 1. Candidates will be summoned with relevant documents with regard to eligibility, relaxation, preferential qualifications, etc., for scrutiny thereof to be carried out by a committee which will consist of following members:-
- (a) a deputy collector nominated by the District Magistrate of the District will be the Chairman:
- (b) a Deputy Superintendent of Police nominated by the Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the district
- (c) District Inspector of Schools (D.I.O.S) or Basic Siksha Adhikari (B.S.A.) or any other gazetted officer of the education department nominated by the District Magistrate

Where according to the prevalent Government Orders representation of Scheduled Caste/Scheduled Tribes, Other Backward Community, Minority or any other category whose representation is necessary in the above team, the Board shall keep additional officers nominated by the District Superintendent of Police to ensure their representation. Such nominated officers shall not be below the ranks of Inspector in police department.

- Original documents shall be checked as per the information provided in the Application Form.
- During scrutiny of documents on being referred by any committee because of any doubt or on being brought directly in
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

its notice, the Board can issue directions in this regard. The directions such issued by Board, shall be final.

#### **Physical Standard Test**

The above mentioned Committee can take help of any Government employee for conducting Physical Standard Test.

1. Minimum Physical Standards for male candidates are as follows:-

# (a) Height:-

(one) for General/ Other Backward Caste and Scheduled Caste male candidates minimum height is 166 centimeter.

(two) for Scheduled Tribe male candidates minimum height is 158 centimeter.

## (b) Chest:-

For the candidates belonging to General/ Other Backward Caste and Scheduled Castes minimum chest measurement should be 79 centimeters without expansion and at least 84 centimeters with expansion; and for the Scheduled Tribes 77 centimeters without expansion and not less than 82 centimeters on expansion.

Note:- Minimum 5 centimeters chest expansion is essential.

2. Minimum Physical Standards for female candidates are as follows:-

#### (a) Height:-

(one) for General/ Other Backward Caste and Scheduled Caste female candidates minimum height is 150 centimeter.

(two) for Scheduled Tribe female candidates minimum height is 145 centimeter.

### (b) Weight:-

Minimum 40 Kg. for female candidates.

- 3. The minimum physical standards for qualification for each test shall be displayed very prominently on Notice Boards in the venue of examination before conducting the examination.
- Only standardized equipments having Bureau of Indian Standards certification or duly certified by the Director of Weights and Measures are to be used for physical standards test examination.
- 5. If any candidate is not satisfied with his Physical Standard Test, he can file an objection on the same day after the test. For clearing all such
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

objection, the Board shall nominate one Additional Superintendent of Police at every place and Physical Standard Test of all such candidates will be conducted again by the committee in the presence of above nominated Additional Superintendent of Police. All those candidates who are again found unsuccessful in the Physical Standard Test, will be declared unfit and no further appeal will be entertained in this regard.

# **General Instructions**

- (1) Candidates will be expected to appear on the date and time assigned to them. For reasons beyond their control and to be recorded in writing, the date and time of the test may be changed by the Board for a group of candidates to be tested at a particular time.
- (2) If a candidate fails to appear in the examination on the scheduled date and time, then he can give application to the committee formed for conducting the test in concerned district, giving reasons in detail for absence and requesting to appear in the exam on some other date. The Committee, after considering his application, can decide and allow him to appear for test on some other date. The candidate will be given only one chance in this regard and if he fails to appear in the examination on rescheduled date and time, he shall be considered unsuccessful. The candidates can give this application, before the last date fixed for this test, by the Board. No application will be accepted after the last day. The committee shall inform the Board about all such cases where the date and time of the test has been rescheduled.
- (3) A candidate who fails for not achieving the prescribed standards in the examination, shall not be given another chance and no appeal shall lie for a retest for reasons of health and any other ground whatsoever.
- (4) The candidates will be informed about result of Scrutiny of Documents and Physical Standard Test on the same day.

Appendix-C

Medical Test

{See Rule-17(G)}

The Appointing authority will request the Chief Medical Officer of the concerned District to constitute medical Board for

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

conducting Medical Examination. The Medical Board will consist of three Doctors, who will conduct Medical Examination as per "Police Recruitment Medical Examination Forms" as prescribed and codified by Head of Department in consultation with Director General of Medical Health. This Form will be available on Uttar Pradesh Police website and also displayed at the place of Medical Examination. Medical Board can take services of any expert as per requirements.

Only standardized equipments having Bureau of Indian Standards certification or duly certified by the Director of Weights and Measures are to be used for physical standards test examination.

- (1) The doctors will examine the candidates in accordance with the Medical Manual, if any, and announce the result on the day of the Medical Examination.
- (2) The result of the Medical Examination will be displayed on the notice board outside the premises at the end of the day.
- (3) Any candidate not satisfied by his Medical Examination, shall file an appeal on the day of examination itself. The appeal should be disposed of by the Medical Board, constituted for the same purpose within one month of the appeal being filed. The Medical Board constituted for appeal shall have expert regarding Medical deficiency of the applicant.
- (4) The members of the Medical Board who are found to give wrong report willfully will be liable for criminal proceedings.
- (5) The Medical Examination is only qualifying in nature and it has no effect on the merit list.

Note:- The Medical Board will examine the candidates and their deficiencies such as knock knee, bow legs, flat feet, varicose veins, distant and near vision, colour blindness, hearing test comprising of Rinne's Test, Webber's Test and tests for vertigo etc. as notified by the Government from time to time. The Medical Board may get conducted other examinations after obtaining opinion of experts.

**Appendix-D** 

Procedure of Departmental Examination for

Class IV Employees

{See Rule-6(b)}

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- 1. All the eligible Group-'D' employees (Rule-6 read with Rule 10) shall be required to undergo Typing Test which shall be of qualifying nature.
- 2. All the candidates who are successful in the Typing Test shall be required to undergo a written examination of 100 marks. The candidates shall be required to obtain 35% marks in order to qualify the written test. The syllabus of the written Test will be decided by the Board in consultation with the Head of Department and notified along with the notification of vacancies. The merit list shall be prepared on the aggregate obtained in thewritten marks examination. If the two or more candidates secure equal marks. preference will be given to the candidates who are senior in the service, older in age and then in the order of the first letter of the English Alphabet of the first name as mentioned in High School certificate.
- 3. The Board shall prepare a select list of candidates as per the merit keeping in view the total number of vacancies notified by the Board. The Boardshall submit the list of selected candidates, along with its recommendation to the Head of Department.
- 4. Head of Department will approve the list and send it to appointing authoritywho shall issue the final orders for promotion.
- The final list of candidates selected for promotion, as approved by the Head of Department shall be displayed on the website of the Board and the Uttar Pradesh Police.

By order, (DEBASISH PANDA) Pramukh Sachiv, Grih